UPJS010020332026

# न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,झांसी।

**उपस्थितः–नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)**

**(JO CODE–UP 6348)**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–194/2026

राकेश कुमार अहिरवार बनाम कौशल किशोर कुशवाहा आदि

अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–उल्दन, झाँसी।

**दिनांक–14.07.2026**

1– प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया है।

2– प्रार्थी राकेश कुमार अहिरवार ने प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है किः– "घटना दिनांक 13.02.2026 को समय करीब सुबह 10 बजे की है। जब प्रार्थी/वादी अपनी दुकान / खोखे पर बैठा था, तभी गांव के ही रहने वाले कौशल किशोर कुशवाहा पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा, मानसिंह कुशवाहा पुत्र कमल प्रसाद, चन्द्रभान पुत्र श्री देवी, नृपत कुशवाहा पुत्र कड़ोरे समस्त निवासी ग्राम पठाकरका थाना उल्दन जिला झांसी आये और प्रार्थी/वादी व उसकी पत्नी कृष्णा देवी से उक्त दुकान व खोखे को हटाने के लिये कहने लगे और लाठी डंडो से मारपीट करने लगे और प्रार्थी/वादी को व उसकी पत्नी को गाली गलौच कर कहने लगे कि साली चमरिया रंडी यहा बैठकर धंधा कराती है और प्रार्थी/वादी को बेरहमी से पीटने लगे, जिससे प्रार्थी/वादी को सिर में व दाहिने हाथ में चोटे आयी थी। प्रार्थी/वादी की पत्नी को कौशल किशोर ने बदनीयत से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और अश्लील हरकत करने लगा। उक्त मारपीट में प्रार्थी/वादी की पत्नी का मोबाइल रियलमी का जमीन पर गिरकर टूट गया था। उक्त घटना के दौरान वहीं से गुजर रहे गांव के प्रधान डॉ० जगदीश कुशवाहा से प्रार्थी/वादी व उसकी पत्नी ने उक्त लोगो के द्वारा की जा रही मारपीट के बारे में कहा तो उन्होंने भी प्रार्थी/वादी की पत्नी व प्रार्थी/वादी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर कहा कि साली चमरिया वाली यहाँ से खोखा / दुकान उठा ले वरना मैं यहा से उठवाकर फिकवा दूंगा। प्रार्थी/वादी ने 112 पुलिस सहायता डायल कर उक्त घटना की सूचना पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस आयी थी, लेकिन उक्त लोग काफी दंबग किस्म के व्यक्ति है, जिस वजह से कोई कार्यवाही नहीं की गयी और वपिस चली गयी। प्रार्थी/वादी ने उसी दिन बंगरा अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया था, जिसका पर्चा भी प्रार्थी/वादी के पास है। उक्त घटना की शिकायत थाना उल्दन में जाकर दी थी, जिस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उक्त लोग काफी दंबग किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थी / वादी व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए घूम रहे हैं। विपक्षीगण गांव के शंकर जी के मन्दिर की छत पर अपने निजी उपयोग हेतु सौलर प्लांट लगाये हुये है और मन्दिर प्रांगण की जमीन पर टीनशेड लगाये हुये है, जिसमें वह अपना निजी वाहन रखते है और अपने जानवर बांधते है। प्रार्थी/वादी का घटना के तीन माह पूर्व पैर का एक्सीडेन्ट हो गया था, जिससे उसका पैर फैक्चर हो गया था और वह चलने फिरने में असमर्थ था। इस कारण प्रार्थी/वादी ने गांव में ही शंकर जी के मन्दिर के पास खाली जगह पर एक दुकान अस्थाई रूप से रख ली थी जिसको चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। विपक्षीगण इस बात से नाराज थे कि तुम नीच जाति के हो और यहां पर दुकान नहीं लगा सकते। प्रार्थी/वादी की पत्नी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 20.02.

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.07.14 17:24:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, झांसी को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया था व आई.जी.आर.एस. सं0–40016626004542 दिनांक 20.02.2026 को दर्ज करायी थी, जिससे थाना उल्दन में पदस्थ एस.आई. गोकुल सिंह के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गयी जिसमें उक्त एस.आई. गोकुल सिंह ने विपक्षीगण के साथ मिलकर उक्त आई.जी.आर.एस. में गलत रिपोर्ट लगा दी थी और प्रार्थी/वादी व उसकी पत्नी के साथ गली गलौच कर अभ्रदता की थी। जिसकी भी शिकायत प्रार्थी/वादी की पत्नी ने दिनांक 07.03.2026 को पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर व राष्ट्रीय अध्यक्ष आयोग एस. सी.एस.टी. नई दिल्ली को भेजी थी। जिससे उक्त एस.आई. गोकुल सिंह प्रार्थी/वादी व उसकी पत्नी से और अधिक रंजिश रखने लगा है और कहने लगा कि तुम लोग बहुत नेता गिरी करते हो झूठे मुकदमें में फसवाकर जेल भिजवा देंगे। दिनांक 01.03.2026 को एस.आई. गोकुल सिंह पलसर मोटर साईकिल से एक अज्ञात कॉस्टेबल नाम व पता अज्ञात प्रार्थी/वादी के घर पर आये और प्रार्थी/वादी की पत्नी को गाली गलौच कर कह रहे थे कि तेरे पति का तो एनकांउटर करेंगे और ग्राम प्रधान से बात कर तेरा मकान भी तुडवायेंगे और तुम लोग ज्यादा नेता बन रहे हो एक मुकदमा लिख जायेगा औकात में आ जाओगे। औकात में तो फूलदेवी भी आ गयी थी और एस.आई. गोकुल सिंह के द्वारा प्रार्थी/वादी की पत्नी को धमकी दी गयी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थी/वादी के पास है। विपक्षीगणों के द्वारा की गयी घटना में प्रार्थी/वादी व प्रार्थी की पत्नी कृष्णा देवी को विपक्षीगणों ने मारपीट की थी उसमें प्रार्थी/वादी व प्रार्थी की पत्नी बुरी तरह घायल हो गयी थी प्रार्थी की पत्नी को सिर से खून निकला था उसकी भी फोटो प्रार्थी के पास है। प्रार्थी ने जो अपना इलाज दिनांक 13.02.2026 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरा में करवाया था। उसके पर्चा की छायाप्रति प्रार्थी के पास है। प्रार्थी/वादी की पत्नी कृष्णा देवी का थाना उल्दन की पुलिस के द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया था जबकि प्रार्थी / वादी की पत्नी को सिर में गम्भीर चोटे आयी थी। विपक्षीगण दबंग एवं प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति है जो कि वर्तमान सत्ता में पहुँच रखते है, जिस कारण थाना उल्दन की पुलिस विपक्षीगणों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नही है। जबकि विपक्षीगण प्रार्थी /वादी व उसके परिजनों को जान से मारने की फिराक में घूम रहे है। विपक्षीगणों के भय के कारण प्रार्थी व उसकी पत्नी गांव से बाहर रहने को मजबूर है। चूंकि विपक्षीगणों का कहना है कि जब भी गांव में आओगे जान से मार देंगे। यदि विपक्षीगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी तो निश्चत ही विपक्षीगण प्रार्थी/वादी व उसके परिजनों के साथ कोई भी घटना घटित कर सकते है। वादी ने घटना की दिनांक को थाना उल्दन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 02.04.2026 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्र्टड डाक से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी को एवं दिनांक 03.04.2026 को ई एफ.आई.आर. सं0–31652071072600004 के माध्यम से थाना उल्दन को अवगत कराया था, किन्तु अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। विपक्षीगणों ने प्रार्थी के साथ संगीन अपराध कारित किया है उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी व उसकी पत्नी ने थाना उल्दन में की, लेकिन विपक्षीगणों के दवाब के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त प्रकरण की जांच होना अति आवश्यक है। विपक्षीगण ने प्रार्थी/वादी के साथ सज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया है जिसके सम्बन्ध में तमाम साक्ष्य संकलित किया जाना है विपक्षी से पूछताछ होना है, जो पुलिस विवेचना से सम्भव है। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध थाना उल्दन पुलिस को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित करने की याचना की गई है।"

**3–** प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को प्रेषित प्रार्थनापत्रों की प्रतियाँ, मूल डाक रसीदें, जनसुनवाई के प्रपत्रों की छायाप्रतियां, नौ किता फोटोग्राफ्स, मेडिकल प्रपत्र की छायाप्रति व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रित संलग्न की गयी है।

**4–** प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना–उल्दन, जिला–झाँसी से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाना द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया है किः– " आवेदक राकेश कुमार अहिरवार पुत्र श्री शम्भू दयाल निवासी ग्राम पठाकरका थाना उल्दन जिला झाँसी का रहने वाला है, परन्तु आवेदक की एक पत्नी श्रीमती रेखा पूर्व से होने के उपरान्त दूसरी श्रीमती कृष्णा देवी जो कि गाँव के ही बिहारी लाल की पुत्री है, जिसको बतौर पत्नी आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व से एक पत्नी श्रीमती रेखा देवी के जीवित रहते हुये गाँव के ही बिहारीलाल की पुत्री कृष्णा देवी के साथ दूसरी शादी करके हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। जिसका कि गाँव के लोगो के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा रहा है। आवेदक राकेश कुमार अहिरवार द्वारा एंव गाँव के ही विपक्षी नृपत कुशवाहा आदि द्वारा दिनांक 13.02.2026 को एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया। प्रा०प० की जाँच के उपरान्त दिनांक 14.02.2026 को रपट सं0 29 समय 19.57 बजे राकेश कुमार आदि 03 नफर व विपक्षी कौशल किशोर कुशवाहा आदि 05 नफर के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर झाँसी को प्रेषित की गयी थी। रो०आम की नकल रपट संलग्न क्रमांक 1 पर है, जो कि विचाराधीन न्यायालय है। आवेदक द्वारा दिये गये प्रा०प० की जाँच के दौरान यह पाया गया था कि आवेदक झूठे आरोप लगाकर अपने निजी हित के लिये मुकदमा पंजीकृत कराने के लिये प्रयासरत है, क्योकि **आवेदक इससे पूर्व दिनांक 25.01.2026 को भी झूठे आरोप लगाकर गाँव के ही नत्थू कुशवाहा पुत्र भग्गू कुशवाहा के विरुद्ध एक प्रा० प० दिया था । बाद में डेढ लाख रुपये लेकर समझौता किया था। प्रा०प० व समझौता की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न क्रमांक 2 व 3 पर है तथा पैसे के लेनदेन की वीडियो फुटेज मौजूद है।** उक्त पैसे का लेनदेन अवैधानिक तरीके से झूठे आरोप लगाकर फसाये जाने के बदले आवेदक की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा गवाह पूर्व प्रधान ग्राम बंगरा माधव प्रसाद के समक्ष किया गया, जिसका वीडियो फुटेज नत्थू के पुत्र दुर्गेश द्वारा तैयार किया गया है। **इससे पूर्व आई०जी०आर०एस० नं0 40016625034001 पर आवेदक द्वारा एक झूठा प्रा०प० रजनीश ठाकुर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम वहज डींग थाना डींग जिला भरतपुर राजस्थान के विरुद्ध दिया गया था जिसकी जाँच आख्या की प्रति संलग्न क्रमांक 4 पर है।** आवेदक द्वारा ग्राम प्रधान डॉ जगदीश कुशवाहा से शिकायत करने पर जातिसूचक गालियाँ देकर भगाया गया तथा खोखा/दुकान उठाकर फेंकने की बात कही गयी। जाँच के दौरान मौके पर मौजूद गाँव के ही दीनदयाल पुत्र बदली कुशवाहा, मंगल प्रसाद पुत्र स्व० जानकी प्रसाद, पृथ्वी सिंह पुत्र थानसिंह, अशोक कुमार पुत्र मातादीन अहिरवार एवं महेन्द्र पाल सिंह पुत्र दयाल सिंह आदि अन्य तमाम लोगों से पूछताछ करने पर आवेदक द्वारा दर्शायी गयी घटना की पुष्टि नहीं हुई, **क्योंकि जिस स्थान पर आवेदक द्वारा अपने व अपनी अवैधानिक पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी के साथ घटना कारित करना दर्शाया गया है उस स्थान पर दिनांक 08.02.2026 से 14.02.2026 तक मन्दिर परिसर में भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था। इसी प्रोग्राम के दौरान दिनांक 13.02.26 को आवेदक द्वारा मन्दिर के सामने बने पूजा अर्चना के लिये सार्वजनिक चबूरते पर एक लोहे का ढाला रखकर पूजा स्थल के सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से कब्जा कर शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने का अथक प्रयास किया गया।** गाँव के लोगों द्वारा सार्वजनिक पूजा स्थल के चबूतरे पर ढाला रखकर कब्जा किये जाने का विरोध करने पर झूठे आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसके बाद गाँव के लोगों द्वारा समझाने बुझाने के उपरान्त दिनांक 25.02.2026 को आवेदक द्वारा अपना लोहे का ढाला सार्वजनिक पूजास्थल के चबूतरे से हटाया गया । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक व उसका परिवार इतना दबंग व अपराधी मानसिकता का है कि ग्राम समाज की भूमि खतौनी खाता सं० 00567 गाटा सं० 952 क्षे० 0.1580 पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनवाया गया, जिसका मुकदमा न्यायालय तहसीलदार मऊरानीपुर झांसी के वाद सं०

01034/19 धारा 67 उ० प्र० राजस्व संहिता ग्राम सभा बनाम शम्भू दयाल चला। जिसमें न्यायालय द्वारा आवेदक के पिता शम्भूदयाल को विवादित भूमि से बेदखल किया गया तथा 18100 रूपये हर्जाना का आदेश पारित हुआ। आदेश की प्रति संलग्न क्रमांक 05 से 06 तक है। आवेदक द्वारा दबंगई के बल पर ग्राम सभा पठाकरका की आराजी नं० 952/01580 पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाये जाने के संबंध में दिनांक 26.02.26 को नाप हेतु आख्या उपजिला मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर को आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसके परिपेक्ष में दिनांक 16.04.26 को क्षेत्रीय लेखपाल श्री अंकित पटेल द्वारा नाप की गयी तो राकेश अहिरवार द्वारा खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज भूमि पर कब्जा कर मकान बनाये जाने की बात पायी गयी। लेखपाल की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न क्रमांक 07 पर है। आवेदक व विपक्षी नृपत आदि द्वारा दिनांक 13.02.26 को दिये गये प्रार्थनापत्र में जाँचोपरान्त कृत कार्यवाही का विवरण दिनांक 14.02.26 को थाना हाजा रो० आम की रपट सं० 29 समय 19.57 बजे उल्लेखित किया गया है। नकट रपट संलग्न क्रमांक 1 पर है। वादी द्वारा दर्शाया गया है कि दिनांक 13.02.26 को बंगरा अस्पताल जाकर अपना व अपनी पत्नी का इलाज कराया है, परन्तु आवेदक व उसकी अवैधानिक पत्नी श्रीमती कृष्णा के इलाज संबंधी कोई अभिलेख सी.एच.सी. बंगरा में नहीं है। आवेदक व  इसका परिवार स्वयं दबंग किस्म का सरकारी जमीनों पर कब्जा करने एवं लोगो के विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र देने एवं लाभ प्राप्त करने का आदी है। आवेदक द्वारा यह दर्शाया गया है कि विपक्षीगण गाँव के शंकरजी के मन्दिर की छत पर निजी उपयोग हेतु सोलर प्लान्ट लगाये हुए हैं तथा मन्दिर प्रागंण की जमीन पर टीन सेट लगाये है जिसमें अपने निजी वाहन रखते है व जानवर बाँधते है। इस सम्बन्ध में मौके पर जाँच करने पर पाया गया कि धर्मेश कुशवाहा के मकान के सामने मन्दिर बना है, जो कि करीब 100 वर्ष पुराना है। जिसका जीर्णोद्धार धर्मेश कुशवाहा द्वारा गाँव के अन्य लोगो के सहयोग से कराया गया मन्दिर के दोनो तरफ खाली जगह है जिस पर इण्टरलॉक ईट बिछी है एवं एक तरफ टीन सेट बना है, जो कि पुश्तैनी धर्मेश कुशवाहा के कब्जे में है तथा प्रयोग की जाती रही है। मन्दिर व मन्दिर परिसर एवं घर में रोशनी के उद्देश्य से मन्दिर परिसर के एक रूम के ऊपर धर्मेश कुशवाहा द्वारा सोलर प्लेट लगाकर रोशनी की व्यवस्था की गयी है। उस स्थान पर विपक्षीगण द्वारा अवैध कब्जा किया जाने की बात निराधार व असत्य है। आवेदक के साथ दिनांक 14.12.2025 को घटित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2025 को मु०अ०सं० 180/25 धारा 281/125(b)/125(d)/324(4) BNS बनाम मूलचन्द्र अहिरवार पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना दिनांक 25.02.2026 को आरोप पत्र सं० 21/26 प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा प्रा०पत्र में अस्थायी दुकान रख कर पालन पोषण करने की बात गलत है इसके द्वारा सार्वजनिक पूजास्थल के चबूतरे पर अवैध रुप से कब्जा कर लोहे का ढाला रखा गया। गाँव के दवाब में अवैधानिक काम होने के कारण आवेदक द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूजा स्थल चबूतरे से अपना ढाला हटाया गया। आवेदक द्वारा दिये गये प्रा०पत्रो की जाँच आख्या की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न क्रमांक 8 से 12 तक है। आवेदक उपरोक्त कारण वश झूठे आरोप लगा रहा है। आवेदक राकेश कुमार अहिरवार द्वारा जो मकान बनाया गया है वह ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा कर बनाया गया है जिसकी बेदखली का आदेश दिनांक 26.09.2020 को हो चुका है, परन्तु अवैध कब्जा न छोड़ने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाकर मनगढंत साक्ष्य तैयार कर प्रार्थना पत्र दे रहा है। आवेदक की अवैधानिक पत्नी श्रीमती कृष्णा का दिनांक 13.02.2026 को सीएचसी बंगरा मे कोई इलाज नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में सीएचसी बंगरा में कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। आवेदक व इसका परिवार अपराधिक मानसिकता एवं सरकारी जमीन पर अवैध रुप से कब्जा करने एवं झूठे आरोप लगाकर लोगो से पैसा लेकर जीवनयापन करने का आदी है। आवेदक व विपक्षीगण को न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर में पाबन्द कराया जा चुका है। आवेदक अपने परिवार सहित गाँव में रह

रहा है। तनाव को देखते हुऐ दोनो पक्षो को न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर मे पाबन्द कराया जा चुका है। आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सत्यता के आधार पर दिनांक 14.02.2026 को रपट सं0 29 समय 19.57 बजे कार्यवाही की जा चुकी है। विस्तृत विवरण रपट में अंकित है। संलग्न क्रमांक 1 पर है। आवेदक व उसकी अवैधानिक पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी के द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्रो की जाँच आख्या की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न क्रमांक 08 से 12 तक है। आवेदक व उसके परिवार के साथ कोई भी संज्ञेय घटना घटित नहीं हुयी है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा कर उस पर मकान का निर्माण किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2020 को बेदखली का आदेश दिये जाने के बाद भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं हो रहा है तथा गाँव के ही नत्थू पुत्र भग्गू के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। आर्थिक लाभ प्राप्त कर समझौता किया गया। न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक एवं उसकी अवैधानिक पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर करने की कृपा करें। आवेदक व उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा गाँव के ही मानसिंह, कौशल, जगदीश कुशवाहा वर्तमान प्रधान को गलत मुकदमे में फसाँये जाने की धमकी दी जा रही है, जिस सम्बन्ध में मानसिंह आदि द्वारा दिनांक 17.04.2026 को पुलिस अधीक्षक नगर झाँसी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया है। समस्त प्रकरण की जाँच पुलिस अधीक्षक नगर जनपद झाँसी द्वारा की जा रही है। जिसकी प्रति संलग्न है। अतः आवेदक राकेश कुमार अहिरवार उपरोक्त के विरुद्ध उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर न्यायिक कार्यवाही करने की कृपा करे।"

**5–** विपक्षी क्रमांक 6 के लोक सेवक होने के कारण धारा 175(4) बी.एन.एस.एस. के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट एवं संबंधित विपक्षी क्रमांक –6 का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिसमें थाना आख्यानुसार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध बनावटी व मनगढंत तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थनापत्र देना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बताये गये कथनों के आधार पर घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

**6–** मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों, थाने से प्राप्त आख्या एवं अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन एवं परिशीलन किया गया है।

**7–** प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराने का आदेश पारित करने के स्तर पर मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश को केवल प्रथमदृष्टया यह देखने की आवश्यकता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर कोई संज्ञेय मामला बनता है अथवा नहीं। इस स्तर पर न तो मामले के गुण–दोष पर विचार किया जाना है और न ही गुण–दोष के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना है। प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी, जो कि अनुसूचित जाति का है, की दुकान/खोखा हटवाने के उद्देश्य से प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्रकरण की सच्चाई न्यायालय के समक्ष लाने के लिए मामले में विवेचना कराया जाना आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

**8–** प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने, प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों व संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी ने कथित घटना दिनांक 13.02.26 को समय करीब सुबह 10 बजे घटित होना बताया है तथा घटना में विपक्षीगण द्वारा उसके व उसकी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसके शरीर में दाहिने हाथ में व पत्नी के भी शरीर पर चोटे आना बताया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कहा है कि घटना के तीन माह

पूर्व उसके पैर का एक्सीडेन्ट हो गया था, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था तथा वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के साथ प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र शम्भूदयाल द्वारा दिनांक 19.04.26 को 12.54 बजे थाना निवाड़ी में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रार्थी ने कहा है कि दिनांक 18.04.26 को वह अपनी मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस UP93CD6170 से अपनी पत्नी के साथ तारीख करने के लिए कचहरी झांसी गया था। वहाँ से वापिस आते समय लगभग 2.30 बजे जैसे ही वह कप्तान ढाबा के पास आया तो झाँसी की तरफ से आ रही काले रंग की चार पहिया गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह एवं उसकी पत्नी मोटरसाइकिल सहित रोड के किनारे गिर गये। जिससे उसके सिर में दाहिने तरफ, चेहरे पर, मुँह एवं नाक, दाहिने हाथ के कंधा, दोनों हाथ की कलाई, दाहिने पैर के घुटने में चोट आयी और उसकी पत्नी के दाहिने तरफ कमर में, पेट में, सीने में, दाहिने हाथ की कोहनी में,पीठ में, दाहिने पैर के घुटने में चोटे आयी। प्रार्थी ने दिनांक 18.04.2026 को समय 6.25 PM पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल झांसी में अपनी चिकित्सीय परीक्षण कराया है तथा जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश में भी उसने अपना व अपनी पत्नी कृष्णा का इलाज बाह्य रोगी के रूप में कराया है। यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में कथित घटना के दो माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.26 को हुई कथित घटना के बाद चिकित्सीय परीक्षण कराने व कहीं पर भी कोई इलाज कराने से संबंधित कोई प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। जो भी फोटो दाखिल किये गये हैं वह कब के या किससे तैयार कराये गये हैं, यह स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायते कर अवैध रूप से धन वसूल कर समझौते किये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि वह पूर्णतः मिथ्या, काल्पनिक एवं बनावटी कथनों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता है, जिससे कि वह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए मन माफिक तौर पर अवैध धन की वसूली कर सके। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में पूर्णतः मिथ्या कथन किये गये हैं। प्रार्थी विपक्षीगण को ब्लैकमेल करते हुए उनसे अवैध धन वसूलने के आशय से झूठे कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता हूै। जबकि किसी भी व्यक्ति को मिथ्या कथन करते हुए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**9–** धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत करने के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथमदृष्टया मामला देखने की आवश्यकता है, परन्तु इस स्तर पर भी मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए तथा प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार कर यह देखते हुए न्यायिक आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है कि कोई व्यक्ति विधि के प्रावधानों व न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपने उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु व अपने विपक्षी को तंग व परेशान करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराने का प्रयास तो नहीं कर रहा है।

**10–** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Omprakash Ambadkar vs State of Maharastra & ors.2025 INSC 139 Criminal Appeal No.–352/2020** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक–16.01.2025 को अवधारित किया गया है कि **मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराने के संबंध में निर्देश जारी करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के साथ–ही–साथ मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए तथा मजिस्ट्रेट को मशीनीकृत तरीके से मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए।** इस मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत अनेक मामलों को संदर्भित करते हुए यह भी अवधारित किया है कि धारा–156(3) द०प्र०सं० (धारा–173(4) व 175(3) बी०एन०एस०एस०) के प्रावधानों का उपयोग वास्तविक रूप से सताये हुए व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसे किसी भी व्यक्ति को अपने विपक्षी का शोषण करने व उस पर मनचाहा दबाव बनाने के हथियार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

**11–** इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा–156(3) द०प्र०सं० (धारा–173(4) व 175(3) बी०एन०एस०एस०)के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हुए अवधारित किया गया है किः– "31. A comparison of Section 175(3) of the BNSS with Section 156(3) of the Cr.P.C. *indicates three prominent changes that have been introduced by the enactment of BNSS as follows:*

> **a.** First, the requirement of making an application to the Superintendent of Police upon refusal by the officer in charge of a police station to lodge the FIR has been made mandatory, and the applicant making an application under Section 175(3) is required to furnish a copy of the application made to the Superintendent of Police under Section 173(4), supported by an affidavit, while making the application to the Magistrate under Section 175(3).
>
> **b.** Secondly, the Magistrate has been empowered to conduct such enquiry as he deems necessary before making an order directing registration of FIR.
>
> **c.** Thirdly, the Magistrate is required to consider the submissions of the officer in charge of the police station as regards the refusal to register an FIR before issuing any directions under Section 175(3)."

**12–** इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है किः– "34. In light of the judicial interpretation and evolution of Section 156(3) of the Cr.P.C. by various decisions of this Court as discussed above, it becomes clear that the changes introduced by Section 175(3) of the BNSS to the existing scheme of Section 156(3) merely codify the procedural practices and safeguards which have been introduced by judicial decisions aimed at curbing the misuse of invocation of powers of a Magistrate by unscrupulous litigants for achieving ulterior motives.

35. Further, by requiring the Magistrate to consider the submissions made by the concerned police officer before proceeding to issue directions under Section 175(3), BNSS has affixed greater accountability on the police officer responsible for registering FIRs under Section 173. Mandating the Magistrate to consider the submissions of the concerned police officer also ensures that the Magistrate applies his mind judicially while considering both the complaint and the submissions of the police officer thereby ensuring that the requirement of passing reasoned orders is complied with in a more effective and comprehensive manner."

**13–** प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस. में पूर्णतः मित्था, काल्पनिक एवं बनावटी कथन किये गये हैं। जबकि उसके शरीर पर जो चोटे फोटोग्राफ्स में दर्शित की गयी हैं वह प्रार्थी के कथनों के अनुसार पूर्व में हुई दुर्घटना में आना संभव है। प्रार्थी द्वारा कथिन घटना में अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा का बुरी तरह घायल होना बताया है तथा उसके सिर से खून निकले का कथन किया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के इलाज से संबंधित कोई प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रार्थी वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए झूठा मुकदमा अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु पंजीकृत कराना चाहता है, जिसकी उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों एवं तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने हेतु कोई भी न्यायोचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी राकेश कुमार अहिरवार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–14.07.2026

**(नेत्रपाल सिंह)**
**विशेष न्यायाधीश**
**एस.सी./एस.टी.एक्ट झांसी।**